म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल

ऋणी द्वारा निष्पादित वचन-पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ती यह स्वीकार करता/करती हूँ कि म.प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल द्वारा स्वीकृत मेरे द्वारा प्रस्तुत ऋण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित शर्तों एवं संस्था के उपनियमों के अधीन रुपये ..... शब्दों में रु. .... मुझे प्राप्त हो गये हैं।

2. मैं स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग मेरे प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

3. मैं वचन देता/देती हूँ कि प्रत्येक माह किश्त के रूप में रु. ..... एवं ब्याज की यह रकम उस दर पर जिसे समिति समय-समय पर निश्चित करे चुकाऊंगा/चुकाऊंगी।

4. मैं वचन देता/देती हूँ कि निश्चित तिथि अथवा तिथियों पर ऋण चुकता कर दूंगा/दूंगी तथा समिति के वर्तमान एवं समय-समय पर प्रचलित उपनियमों का पालन करने हेतु बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

5. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी साधक निवर्तक कार्यपाल समिति के नियमों के अधीन बकाया ऋण राशि चुकाने के लिए बाध्य रहेंगे।

6. लगातार तीन माह की किश्त न चुकाने पर समिति को अधिकार होगा कि ब्याज सहित बकाया ऋण राशि एवं अन्य व्यय एक मुश्त में चुकाने हेतु बाध्य कर सकेगी।

7. किसी भी कारणवश वेतन से ऋण राशि का मासिक चुकाया नहीं हो पाता है तो मैं सीधे ही समिति को ऋण की रकम एवं ब्याज देने हेतु बाध्य हूँ।

8. मेरे मृत्यु/सेवानिवृत्त सेवा से त्याग पत्र/पदच्युत अथवा मासिक किश्त चुकाने में भूल करने के कारण समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि समिति में किसी भी रूप में निहित मेरे/हित/रकमों को बिना मुझे अथवा उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि को सूचित किये जब्त कर लें।

9. मैं म. प्र. गृह निर्माण मण्डल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल को यह अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि मेरी मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र/पदच्युत भूल होने की स्थिति में मेरे वेतन, बकाया वेतन, बोनस ग्रेच्युटी अथवा अन्य देय जिसकी मुझे पात्रता हो कि राशि से समिति के बकाया ऋण एवं ब्याज की रकम वसूल कर समिति को भुगतान कर दें।

10. मैं वचन देता/देती हूँ कि जब तक ऋण और ब्याज की रकम अथवा कोई अंश बिना चुकता रह जायेगा तब तक मैं वेतन से भुगतान करने वाले अधिकार वापस नहीं लूंगा/लूंगी अथवा उसको निरस्त नहीं कर सकूंगा/सकूंगी।

11. मैं समिति को अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि ऋण भुगतान में चूक करने की स्थिति में वह मेरे किसी भी/अथवा बैंक की शाखाओं में मेरे नाम से खोले गये बचत खाते, करंट अकाउंट, रेकरिंग जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट एवं लॉकर्स में रखी गई सामग्री से अथवा मेरे चल एवं अचल संपत्ति से ऋण की बकाया राशि वसूल कर लें।

12. यदि मेरे द्वारा निर्धारित समय पर ऋण किश्त की अदायगी नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में कालातीत ऋण राशि पर समिति को एक प्रतिशत दण्ड ब्याज प्रभारित करने का अधिकार होगा।

13. यदि मैं उक्त स्वीकृत ऋण राशि आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रयोजन हेतु खर्च नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में समिति को अधिकार होगा कि वह एक मुश्त बकाया ऋण राशि वसूल कर सकेगी।

14. मैं समिति को अधिकार देता/देती हूँ कि वह मेरे द्वारा आवेदन पत्र में आवेदित ऋण राशि में आवश्यकतानुरूप संशोधन/सुधार कर सकेगी।

15. मैं वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेरा स्वर्गवास/सेवानिवृत्ति/सेवा से पृथक/स्वेच्छा से त्याग पत्र देता हूँ तो/होता है तो मैं/मेरे द्वारा प्राप्त ऋण के विरूद्ध बकाया राशि का पूर्ण भुगतान एवं पूर्ण ऋण राशि के जमा होने तक कि ब्याज सहित पूर्ण राशि मेरे सामान्य भविष्य निधि/ग्रेज्युटी/बीमा की रकम/पेन्शन जो मेरे अथवा मेरे परिवार को देय है से म. प्र. गृह निर्माण मंडल को वसूल करने का अधिकार एवं सहमति देता हूँ। मण्डल साख समिति की बकाया ऋण राशि वसूल कर साख समिति को भुगतान करे यह मैं वचन देता हूँ।

गवाहः **ऋण आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर**

हस्ताक्षर .....

नाम ..... हस्ताक्षर .....

पद ..... नाम .....

पदस्थी कार्यालय ..... पद .....

दिनांक ..... पदस्थी कार्यालय .....